

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 32/2021 GCMS NO 2021/184

दायरा तिथि : 25.08.2021

आदेश तिथि : 7-3-2022

प्रार्थी :-

श्री इब्राहीम पुत्र नेनु खॉ जाति मुस्लिम

निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 7-3-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 271 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी दायम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बिसलपुर तहसील के खसरा नंबर 272 रकबा 0.2800 हैक्टर किस्म बारानी दायम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से 20 फीट चौड़ा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भूअ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2021/852 दिनांक 25.11.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 271 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी दायम की भूमि श्री इब्राहीम खॉ पुत्र नेनु खॉ जाति मुस्लिम निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली के नाम की खातेदारी भूमि है। उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते का अन्य विकल्प मौजूद नहीं है।
2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	272	0.28 हैक्टर	बारानी दायम	50X 4.56=228 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की डी.एल.सी. दर 148140/- रुपये प्रति बीघा है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकूलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात है कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 271 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी दायम में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत मांग न्यायोचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 271 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी दायम की भूमि में आवागमन के लिये राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 272 किस्म बारानी दायम मेंसे 228 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



पेज लगाता उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 32/2021 GCM5 NO 2021/184
अनवान इब्राहीम खां बनाम तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1965

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा कराये।
प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति वर्गमी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 148140/- रूपये प्रति बीघा से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
272	0.28 हैक्टर	50X 4.56=228 वर्गमीटर	92.59	21111X2= 42222	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार सिवायचक भूमि की देय प्रतिकर राशि 42222/- (अक्षरे बयालीस हजार दो सौ बाईस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा राजकोष में जमा कराई जावेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ मिजवादी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुधी धायगुडे स्टेडल नाम)
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
बाली, जिला-पाली (राज.)
दिनांक : 9-3-22

क्रमांक/कोर्ट/2022/726-30
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक इब्राहीम खां पुत्र नेनू खां जाति मुसलमान निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सूचनार्थ।



(सुधी धायगुडे स्टेडल नाम)
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
बाली, जिला-पाली (राज.)